आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं.208/इंदौर/2024

विद्यासागर सेवा आश्रम समिति, गोसालपुर, तहसील सिहोरा, जबलपुर	बनाम	आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएएफएवी 9048 पी PAN- AAFAV9048P		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं (लिखित निवेदन)
राजस्व की ओर से	श्री आर.के.यादव, आयकर आयुक्त-विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	25.07.2024
उद्घोषणा तिथि	25.07.2024

आदेश

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल के आदेश दिनांक 20.02.2024 के विरूद्ध निदेशित है ।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती द्वारा लिखित निवेदन दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के समक्ष धारा 80जी के अधीन स्थायी पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) ने आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा इस आधार पर खारिज किया था कि उक्त आवेदन आयकर अधिनियम की धारा 80जी(5) में वर्णित समयावधि के बाद दाखिल किया गया है । विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध निर्धारिती ने वर्तमान अपील दाखिल की थी । यद्यपि सीबीडीटी के परिपत्र सं. 7/2024 में सीबीडीटी ने फार्म 10ए तथा 10एबी की तारीख को बढ़ाकर 30.06.2024 किया है और यह भी उल्लिखित

किया है कि यदि किसी का आवेदन निरस्त भी हो गया है तो भी वह पुनः आवेदन कर सकता है । उपरोक्त की दृष्टि में निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही हैं तथा इसे वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपील वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश दिनांक 25.07.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)
लेखा सदस्य

हस्ता/-
(विजय पाल राव)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 25.07.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल